



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैंथल जिला लखीमपुरा राजस्थान

मुरलीधर

बनाम

विकास

अन्तर्गत धारा: वाद उदघोषणा, निरस्ती वसीयत प्रलेख एवं
स्थाई निषेधाज्ञ

प्र० सं० 12/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 13.05.2025 | अधिवक्ता वादी श्री एम.एल. शर्मा एड. उपस्थित। वाद पत्र पेश किया। प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी नोटिस जरिये रजिस्टर एडी. से पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 17.06.2025 को पेश हो। | 658-67 4/6/2025 |
| 17/6/25 | आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 21/7/25 को पेश हो। | |
| 21/7/25 | आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 6/8/25 को पेश हो। | |
| 6/8/2025 | पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बार-बार कक-कक कर आवाज डिलवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल सुमा होकर नम्बर से बन्द हो तथा वाद लकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल